न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 43/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00331

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :-**

जब्बरसिंह पुत्र नाहरसिंह,
जाति राजपूत, निवासी बलाना,
तहसील सुमेरपुर, जिला पाली

तहसीलदार महोदय, सुमेरपुर,
जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज श्रीनाथ
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

-: निर्णय :-

दिनांकः- 18-1-21

वकील अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध आदेश तहसीलदार/नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 592/2020 बअनवान सरकार बनाम जब्बरसिंह में पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील म्याद बाहर होने से अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र पेश गई जो सब्जेक्ट टु लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलार्थी को पेशी दिनांक 29.10.2020 को नोटिस दिया करने हेतु आदेश अंकित किया है एवं तारीख पेशी दिनांक 09.11.2020 को निर्णय पारित किया गया। जबकि इस दौरान अप्रार्थी को नोटिस प्राप्त नही हुआ न ही अपीलार्थी को नोटिस तामील कराया गया है नोटिस की पुस्त परकिसी अनजान व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। वह कौन है अंकित नही है अपीलार्थी को बिना साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर देते हुए और निगरानी आदेश पारित कर दिए गए जिन्हे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है। प्रकरण दर्ज नायब तहसीलदार सुमेरपुर के न्यायालय में दर्ज दिनांक 29.10.2020 को किया गया एवं नोटिस दिया गया एवं दिनांक 09.11.2020 को तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा निर्णय पारित किया गया जो संभव नही है इस कारण भी जैर अपील आदेश निरस्त योग्य है नोटिस पर तामील कुनिन्दा को रिपोर्ट भी अंकित नही होकर भी तामील मानलिया गया है तथा प.ह. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अतिक्रमी लिख देने को ही अन्तिम सबुत मानकर अपीलार्थी को अतिक्रमी आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के साथ ही लगान का 50 गुणा जुर्माना एवं तीन माह के सिविल कारावास जैसे कठोर आदेश पारित किए गए जो न्यायोचित नही है उक्त आदेश अपीलार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

को बिना सही रूप से नोटिस तामील कराये बिना साक्ष्य सबुत के बिना प.ह. के ब्यान लिए एक तरफा कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर दिया जो न्यायोचित नही होने से निरस्त योग्य है पत्रावली पर पूर्ववृति वर्ष में भौतिक रूप से रूबरू मौतबिरान को बेदखल किया इस रिपोर्ट का भी अभाव है। अतिक्रमित आराजी पर अप्रार्थी द्वारा पूर्व में ही कब्जा छोड दिया गया था गतवर्ष से इस वर्ष तक तथा आज भी जरै अपील आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नही है इस बाबत उन्होनें अपीलाण्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करते हुए जैर अपील आदेश निरस्त कराने हेतु निवेदन किया है साथ ही निराधार बिना साक्ष्य सबूत के व विधिवत विरूद्ध तरिके से सिविल कारावास की सजा दिये जाने के मध्यनजर अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम बलाना के खसरा नम्बर 1578 रकबा 0.02 किस्म चा0प्र0 पर अतिक्रमण करने के कारण प.ह. द्वारा रिपोर्ट पेश की गई इस बाबत समुचित कार्यवाही की गई है एवं जैर अपील आदेश पारित किया गया है। प0ह0 की रिपोर्ट में अपीलार्थी द्वारा पश्चातवृति अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है इसी आधार पर समस्त कार्यवाही व आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध पारित किया गया तथा अपील म्याद बाहर होने एवं अपील अपीलाण्ट खारिज फरमावें एवं अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई इस न्यायालय की पत्रावली एंव तहसीलदार सुमेरपुर से प्राप्त पत्रावली का भी अवलोकन किया गया पत्रावली में सिविल कारावास जैसी कठोर निर्णय पारित किया जाने से पत्रावली अन्दर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। पत्रावली में नोटिस जो तामील कराया उस पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित नही है प्राप्त कर्ता के के हस्ताक्षर है वे किसके है यह भी स्पष्ट नही है पूर्व में तारीख पेशी दिनांक 29.10.2020 की दी गई थी जिसे काट कर 09.11.2020 कर दी गई थी एवं अपीलार्थी को जारी नोटिस दिनांक 29.10.2020 का ही रह गया इसी वजह से अपीलार्थी जो मातहत अदालत का अतिक्रमी है तारीख पेशी पर उपस्थित नही हो सका एवं एक तरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित कर दिया गया पत्रावली नायब तहसीलदार सुमेरपुर के न्यायालय में दर्ज किया जाना स्पष्ट है एवं 22.09.2020 की प्रथम आदेशिका में हस्ताक्षर नायब तहसीलदार के है लेकिन द्वितीय आदेशिका दिनांक 09.11.2020 में तहसीलदार सुमेरपुर के हस्ताक्षर है। पत्रावली किस वजह से तहसीलदार से तहसीलदार सुमेरपुर के न्यायालय में कब स्थानान्तरित [redacted] गई किस वजह से की गई नायब तहसीलदार द्वारा पत्रावली दर्ज की जाकर उनके हस्ताक्षर से नोटिस जारी कर फिर तहसीलदार सुमेरपुर के न्यायालय में किस आधार पर स्थानान्तरित की

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:57 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

गई तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा निर्णय किस कारण किया गया कहीं भी मातहत अदालत की पत्रावली में उल्लेखित नही है। पत्रावली में अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर भी नही दिये गये है पत्रावली में प.ह. के ब्यान नही लिए गये है तथा अपीलाण्ट को अतिक्रमित आराजी से पूर्व में भौतिक रूप से रूबरू मौतबिरान को बेदखल किये जाने की रिपोर्ट की प्रति भी सलंग्न नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास की सजा दिये जाने के आदेश पारित कर दिए गए है जो न्यायोचित नही होने से जैर अपील आदेश को यथावत नही रखा जा सकता है अपीलार्थी द्वारा एक शपथ पत्र भी जैर अपील आराजी पर कब्जा नही होने बाबत तथा भविष्य में भी कब्जा नही करने बाबत पेश किया गया है जो पत्रावली संलग्न है

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती हैं एवं मातहत अदालत द्वारा प्रकरण संख्या 592/2020 बअनवान सरकार बनाम जब्बरसिंह मे पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 को निरस्त किया जाकर इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया जाकर बाद जांच अपीलार्थी का अतिक्रमण पाया जाता है तो विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 18-1-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:44:57 IST
Reason: SelfAttested